क्रम-संख्या–64(क–6)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 20 अप्रैल, 2020 ई0
(चैत्र 31, 1942 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 2442/दस-लाइसेंस.-185/2020-2021

प्रयागराज, दिनांक : 20 अप्रैल, 2020 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि–19

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना सं0 26743/दस–लाइसेंस–185/2018–2019 प्रयागराज/दिनांक–29 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2019 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)
(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–नियम–2–का संशोधन–उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2019 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2–परिभाषाए–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में:–	**2–परिभाषाएं**–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में:–
(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;	(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;
(ख) ''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के दौरान फुटकर विक्रय के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत भांग की मात्रा (किलोग्राम में) से है तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार समानुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;	(ख) ''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के दौरान फुटकर विक्रय के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत भांग की मात्रा (किलोग्राम में) से है तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार समानुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;
(ग) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस के प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, भांग की उठान से पूर्व प्रति किलो ग्राम ऐसी दरों पर, जैसा कि समय–समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जाय। परन्तु, यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो प्रतिफल शुल्क आबकारी वर्ष के अवशेष अवधि के समानुपातिक होगा;	(ग) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस के प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, भांग की उठान से पूर्व प्रति किलो ग्राम ऐसी दरों पर, जैसा कि समय–समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जाय। परन्तु, यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो प्रतिफल शुल्क आबकारी वर्ष के अवशेष अवधि के समानुपातिक होगा;
(घ) ''भांग'' का तात्पर्य (कैनेबिस सेटाइवा) के पौधों की पत्तियों एवं छोटे–छोटे डन्ठलों से है, जो भांग के नाम से जाना जाता है;	(घ) ''भांग'' का तात्पर्य (कैनेबिस सेटाइवा) के पौधों की पत्तियों एवं छोटे–छोटे डन्ठलों से है, जो भांग के नाम से जाना जाता है;
(ड.) ''दैनिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365वें भाग से है;	(ड.) ''दैनिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365वें भाग से है;
(च) ''दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वॉ भाग होगी;	(च) ''दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वॉ भाग होगी;
(छ) ''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;	(छ) ''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;
(ज) ''परिवार'' का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) और आश्रित माता–पिता से है;	(ज) ''परिवार'' का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) और आश्रित माता–पिता से है;
(झ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;	(झ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;
(ञ) ''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;	(ञ) ''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;
(ट) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य प्रतिफल शुल्क के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा–24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु उद्ग्रहणीय प्रतिफल फीस से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व देय होगी;	(ट) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य प्रतिफल शुल्क के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा–24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु उद्ग्रहणीय प्रतिफल फीस से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व देय होगी;
(ठ) ''प्रतिफल शुल्क की मासिक किस्त'' का तात्पर्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रतिफल शुल्क के 1/12 वें भाग से है जो प्रत्येक माह देय होगी;	(ठ) ''प्रतिफल शुल्क की मासिक किस्त'' का तात्पर्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रतिफल शुल्क के 1/12 वें भाग से है जो प्रत्येक माह देय होगी;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ड) ''मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'':–वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बारह समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इन गणनाओं के फलस्वरूप प्राप्त मात्रा, मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा समझी जायेगी;	(ड) ''मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'':–वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बारह समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इन गणनाओं के फलस्वरूप प्राप्त मात्रा, मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा समझी जायेगी;
(ढ) '' प्रतिभूति धनराशि'' का तात्पर्य वार्षिक प्रतिफल शुल्क तथा लाइसेंस फीस के योग के 1/6 वें भाग के बराबर की धनराशि से है, जो राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा रसीद के प्ररूप में जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई–पेमेण्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के बाद वापसी योग्य होगी;	(ढ) '' प्रतिभूति धनराशि'' का तात्पर्य वार्षिक प्रतिफल शुल्क तथा लाइसेंस फीस के योग के 1/6 वें भाग के बराबर की धनराशि से है, जो **सावधि जमा रसीद** के प्ररूप में जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई–पेमेण्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के बाद वापसी योग्य होगी; परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।
(ण) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली ''लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के समतुल्य धनराशि से है, और व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम–12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;	(ण) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली ''लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के समतुल्य धनराशि से है, और व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम–12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;
(त) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई–लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;	(त) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई–लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;
(थ)''पोर्टल'' का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है जिस पर भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा;	(थ)''पोर्टल'' का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है जिस पर भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा;
(द) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है जो किसी दुकान के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी;	(द) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है जो किसी दुकान के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी;
(ध) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;	(ध) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;
(न) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य ई–लाटरी के माध्यम से नियत लाइसेंस फीस परअथवा ई–टेण्डर के माध्यम से ऑफर मांगकर दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।	(न) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य ई–लाटरी के माध्यम से नियत लाइसेंस फीस परअथवा ई–टेण्डर के माध्यम से ऑफर मांगकर दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।
(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समानुदेशित हों।	(2 इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समानुदेशित हों।

3–नियम–6 का संशोधन–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6–लाइसेंस की स्वीकृति इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से तथा प्रतिभूति धनराशि को राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा रसीद के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई–पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान करने पर लाइसेंस निर्गत किये जायेंगे।	6–लाइसेंस की स्वीकृति इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से तथा प्रतिभूति धनराशि को **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई–पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान करने पर लाइसेंस निर्गत किये जायेंगे। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण–पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहॉ से उसे लाइसेंस, स्वीकृति के समय जारी किया गया है। परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।

4–नियम–8 का संशोधन–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8–आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें– फुटकर भॉग की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी– अर्थात्	8–आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें– फुटकर भॉग की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी– अर्थात्
(क) भारत का नागरिक हो, परन्तु भांग का थोक आपूर्तिकर्ता किसी फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने हेतु पात्र नहीं होगा। दुकान आवंटन के पश्चात आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, परन्तु, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है।	(क) भारत का नागरिक हो, परन्तु भांग का थोक आपूर्तिकर्ता किसी फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने हेतु पात्र नहीं होगा। दुकान आवंटन के पश्चात आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, परन्तु, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है।
(ख) आवेदन करने के समय आवेदनकर्ता की आयु इक्कीस वर्ष से अधिक हो।	(ख) आवेदन करने के समय आवेदनकर्ता की आयु इक्कीस वर्ष से अधिक हो।
(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबंधों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।	(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबंधों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।
(घ) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा।	(घ) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा।
(ङ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:–	(ङ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:–
(एक) यह कि समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।	(एक) यह कि समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।	(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्व न किया गया हो।	(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्व न किया गया हो।
(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।	(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।
(पॉच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड–तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रेता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।	(पॉच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड–तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रेता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।
(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।	(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।
(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।	(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।
(आठ) यह कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।	(आठ) यह कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
(नौ) यह है कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।	(नौ) यह है कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।
(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने पर चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन–लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।	(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने पर चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन–लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।
(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।	(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।
(च) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के नाम से बना हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।	(च) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के नाम से बना हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(छ) लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् 48 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि लाइसेंस फीस के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी।	(छ) लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् 48 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, **जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।**
(ज) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण–पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता/प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण–पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण–पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर वेल्युअर द्वारा निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहां से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।	(ज) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण–पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता/प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण–पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण–पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर वेल्युअर द्वारा निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहां से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है। परन्तु नवीकरण की स्थिति में, गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।

5–नियम–12 का संशोधन–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–12 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12 –लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो वह अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 03 कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के 10 कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा।प्रतिभूति धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा रसीद के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई–पेमेण्ट द्वारा जमा की जायेगी।	12 –लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो वह अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 03 कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के 10 कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई–पेमेण्ट द्वारा जमा की जायेगी।
यदि वह विहित अवधि में लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, जो उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथा विहित तरीके से पुर्नव्यवस्थापित कर दिया जायेगा।	यदि वह विहित अवधि में लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, जो उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथा विहित तरीके से पुर्नव्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

6–नियम–20 का संशोधन–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
20– दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन – (1) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या अन्य किसी कारण से दुकान अव्यवस्थित होने के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस और समानुपातिक प्रतिफल शुल्क (अर्थात दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क), जो कि एक बार में अधिकतम चौदह दिनों की अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के भुगतान पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्च आफर पर कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि में निहित प्रतिफल फीस तथा लाइसेंस फीस के योग की1/6 धनराशि के बराबर की प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा। परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन, आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति के सिवाय दो बार से अधिक नहीं किया जायेगा।	20– दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन – (1) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या अन्य किसी कारण से दुकान अव्यवस्थित होने के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस और समानुपातिक प्रतिफल शुल्क (अर्थात दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क), जो कि एक बार में अधिकतम चौदह दिनों की अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के भुगतान पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्च आफर पर कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि में निहित प्रतिफल फीस तथा लाइसेंस फीस के योग की1/6 धनराशि के बराबर की प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा। परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी आयुक्त को पूर्व सूचना दिये बिना दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन दो बार से अधिक नहीं करेगा।
(2) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में दुकान का मध्य–सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई–टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।	(2) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में दुकान का मध्य–सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई–टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।

7–नियम–21 का संशोधन–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
21–(लाइसेंस का निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियॉ – (1)–लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है:–	21–(लाइसेंस का निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियॉ– (1)–लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है:–
(क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में भांग के अतिरिक्त अन्य कोई मादक पदार्थ पाया जाय।	(क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में भांग के अतिरिक्त अन्य कोई मादक पदार्थ पाया जाय।
(ख) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।	(ख) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।
(ग) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम में लाइसेंस धारण किये हुये है।	(ग) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम में लाइसेंस धारण किये हुये है।
(घ) यदि लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क की मासिक किस्त या प्रतिभूति धनराशि में कमी की पूर्ति विहित अवधि में जमा करने में विफल रहता है।	(घ) यदि लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क की मासिक किस्त या प्रतिभूति धनराशि में कमी की पूर्ति विहित अवधि में जमा करने में विफल रहता है।
(ङ:) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की किसी धारा के अधीन अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।	(ङ:) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की किसी धारा के अधीन अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।
(च) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी अन्य पदार्थ का अपमिश्रण भांग में करते हुए पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।	(च) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी अन्य पदार्थ का अपमिश्रण भांग में करते हुए पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) इस नियम के उप नियम (1) में वर्णित स्थिति में लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति के समपहरण के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। लाइसेंसधारी नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को सुने जाने का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।	(2) इस नियम के उप नियम (1) में वर्णित स्थिति में लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति के समपहरण के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। लाइसेंसधारी नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को सुने जाने का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।
(3)लाइसेंस निरस्त किये जाने की दशा में उसके द्वारा जमा की गई लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी कोई प्रतिकर या वापसी के दावे का हकदार नहीं होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे अन्य कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।	(3)लाइसेंस निरस्त किये जाने की दशा में उसके द्वारा जमा की गई लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी कोई प्रतिकर या वापसी के दावे का हकदार नहीं होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे अन्य कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

(4) फुटकर लाइसेंसों पर प्रशमन योग्य उल्लंघन के प्रकरणों में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क अधिरोपणीय होगाः–

क्र0 सं0	अनियमितता / उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु0 में)	द्वितीय बार (रु0 में)	तृतीय बार (रु0 में)
1	2	3	4	5
1	निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् दुकान का खुला पाया जाना।	2,500	3,000	5,000
2	अनाधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुये पाया जाना।	5,000	7,000	10,000
3	स्टाक रजिस्टर मॉगने पर न प्रस्तुत करना।	10,000	15,000	20,000
4	स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना।	10,000	15,000	20,000
5	बिक्री में वृद्वि हेत ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना।	5,000	7,000	10,000
6	ड्यूटी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर /गोदाम में संचित करना।	20,000	25,000	30,000
7	लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड स्टाक का पाया जाना।	25,000	30,000	50,000
8	खुली भांग की बिक्री किया जाना	5,000	10,000	15,000

1	2	3	4	5
9	मद्य निषेध, दिवसों /बन्दी के दिनों में भांग की बिक्री किया जाना ।	30,000	40,000	50,000
10	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना।	20,000	25,000	30,000
11	लाइसेंसप्राप्त परिसर के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना।	5,000	10,000	20,000
12	दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।	2,000	5,000	10,000
13	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक–01 से 12 तक पर अंकित न हो।	2,000	5,000	10,000

(पी0 गुरु प्रसाद),
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 2442/X-License-185/2020-2021

Prayagraj, dated: April 20, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act No. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act. no.1 of 1904) the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government makes the following rules with a view to amending **the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licenses for Retail Sale of Bhang) Rules, 2019 published vide Excise Commissioner notification no. 26743/X-Licence 185 /2018-2019/ Prayagraj : January 29, 2019**

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR RETAIL SALE OF BHANG) **(FIRST AMENDMENT)** RULES, **2020**

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licenses for Retail Sale of Bhang) **(First Amendment)** Rules, **2020**

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of Rule 2– In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licenses for Retail Sale of Bhang) Rules, **2019**, hereinafter referred to as the said rules, for rule-2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
2. Definitions -In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-	2. Definitions -In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;	(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;
(b) "Annual minimum guaranteed quantity", means the quantity of bhang (in kilogram) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for the purpose of retail sale during an Excise Year. However, if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately according to the number of days remaining in the excise year;	(b) "Annual minimum guaranteed quantity", means the quantity of bhang (in kilogram) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for the purpose of retail sale during an Excise Year. However, if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately according to the number of days remaining in the excise year;
(c)"Consideration fee" means that part of consideration for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of bhang under section 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before lifting of bhang for the whole excise year or part thereof on such rates per kilogram as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time: Provided, if settlement is done in mid-session the consideration fee shall be in proportion to the remainder part of the Excise Year.	(c)"Consideration fee" means that part of consideration for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of bhang under section 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before lifting of bhang for the whole excise year or part thereof on such rates per kilogram as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time: Provided, if settlement is done in mid-session the consideration fee shall be in proportion to the remainder part of the Excise Year.
(d) "Bhang" means the leaves and small stalks of hemp plant (Cannabis Sativa), known as bhang;	(d) "Bhang" means the leaves and small stalks of hemp plant (Cannabis Sativa), known as bhang;
(e) "Daily License fee" means 1/365th part of the fixed licence fee of the whole year;	(e) "Daily License fee" means 1/365th part of the fixed licence fee of the whole year;
(f) "Daily Minimum Guarantee quantity" shall be 1/365thpart of annual minimum guaranteed quantity;	(f) "Daily Minimum Guarantee quantity" shall be 1/365thpart of annual minimum guaranteed quantity;
(g) "Excise year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;	(g) "Excise year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;
(h) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter (s) and dependent parents;	(h) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter (s) and dependent parents;
(i) "Form" means the form, appended to these rules;	(i) "Form" means the form, appended to these rules;
(j) "Licensing authority" , means the Collector of the District;	(j) "Licensing authority" , means the Collector of the District;

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
(k) "License Fee" means the consideration fee leviable for grant of license for exclusive privilege of retail sale of Bhang under section 24 of the Act, payable by the licensee before license is granted, in addition to consideration fee, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time;	(k) "License Fee" means the consideration fee leviable for grant of license for exclusive privilege of retail sale of Bhang under section 24 of the Act, payable by the licensee before license is granted, in addition to consideration fee, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time;
(l) "Monthly installment of consideration fee" means 1/12thpart of the annual consideration fee fixed by the licensing authority, which shall be payable every month;	(l) "Monthly installment of consideration fee" means 1/12thpart of the annual consideration fee fixed by the licensing authority, which shall be payable every month;
(m) "Monthly minimum guaranteed quantity":- Annual minimum guaranteed quantity shall be divided in 12 equal parts. Quantity obtained as a result of these calculations shall be deemed to be monthly minimum guaranteed quantity;	(m) "Monthly minimum guaranteed quantity":- Annual minimum guaranteed quantity shall be divided in 12 equal parts. Quantity obtained as a result of these calculations shall be deemed to be monthly minimum guaranteed quantity;
(n) "Security amount" means 1/6th part of sum of annual consideration fee and the license fee, which shall be payable in the form of National Saving Certificate/fixed deposit receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government;	(n) "Security amount" means 1/6th part of sum of annual consideration fee and the license fee, which shall be payable in the form of Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government**;** Provided in case of renewal security deposited prior in cash or through national saving certificate (N.S.C) shall be acceptable till it is not refunded .
(o) "Earnest money" means the amount equal to 1/10thpart of license fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;	(o) "Earnest money" means the amount equal to 1/10thpart of license fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;
(p) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e-lottery;	(p) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e-lottery;
(q) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;	(q) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
(r) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license which shall be equivalent to not less than license fee determined for any shop;	(r) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license which shall be equivalent to not less than license fee determined for any shop;
(s) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application;	(s) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application;
(t) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through the medium of e-lottery at fixed fee or through the process of e-tender by inviting offer which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;	(t) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through the medium of e-lottery at fixed fee or through the process of e-tender by inviting offer which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;
(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.	(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Amendement of rule-6–In the said rules, for existing rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
6- Grant of License-	6- Grant of License-
The license shall be issued on payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through National Saving Certificate/fixed deposit receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules.	The license shall be issued on payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of license. Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

4. Amendement of rule-8–In the said rules, for existing rule 8 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
8. Eligibility conditions for applicants-- Eligible applicants for license of a retail bhang shop must fulfill following conditions namely-	8. Eligibility conditions for applicants-- Eligible applicants for license of a retail bhang shop must fulfill following conditions namely-
(a) be a citizen of India, but whole sale supplier of bhang shall be not eligible for holding license of any retail shop. No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop.	(a) be a citizen of India, but whole sale supplier of bhang shall be not eligible for holding license of any retail shop. No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop.
Provided, in the event of death of licensee, his/her legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:	Provided, in the event of death of licensee, his/her legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:
(b) be above twenty-one years of age at the time of making application.	(b) be above twenty-one years of age at the time of making application.
(c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license.	(c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license.
(d) applicant shall be eligible for making only one application in his own name for any shop.	(d) applicant shall be eligible for making only one application in his own name for any shop.
(e) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely-	(e) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely-
(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time.	(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time.
(ii) that his proposed premise of the shop has not been constructed in violation of any law or rules.	(ii) that his proposed premise of the shop has not been constructed in violation of any law or rules.
(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence.	(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence.
(iv) that in case of being selected as licensee he will furnish a certificate issued by Senior Superintendent/ Superintendent of Police of the district of which he is resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.	(iv) that in case of being selected as licensee he will furnish a certificate issued by Senior Superintendent/ Superintendent of Police of the district of which he is resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
(v) that he shall not employ any salesmen or representative who has criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.	(v) that he shall not employ any salesmen or representative who has criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.
(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.	(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.
(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority if required.	(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority if required.
(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities. If after issuance of license it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted license shall be cancelled.	(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities. If after issuance of license it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted license shall be cancelled.
(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of license.	(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of license.
(x) that in case of being selected as licensee, bank drafts of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited by him in the office of District Excise Officer within 48 hours after selection.	(x) that in case of being selected as licensee, bank drafts of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited by him in the office of District Excise Officer within 48 hours after selection.
(xi) that he has not made use of the bank drafts of earnest money in making application for any other shop in the same phase.	(xi) that he has not made use of the bank drafts of earnest money in making application for any other shop in the same phase.
(f) That he shall upload a scanned copy of bank draft of earnest money issued in favour of District Excise Officer of the district of the concerned shop along with online application as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government.	(f) That he shall upload a scanned copy of bank draft of earnest money issued in favour of District Excise Officer of the district of the concerned shop along with online application as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government.
(g) In case of being selected as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within 48 hours after selection. The earnest money shall be adjusted towards the license fee.	(g) In case of being selected as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within 48 hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
(h) That he is holder of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer and the worth of solvency or certificate of owned property issued by Income Tax valuer shall be equivalent to not less than the amount of license fee determined for the grant of license of applied shop in the district. Licensees shall be required to submit the original copy of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer in that district from where it has been issued at the time of grant of license.	(h) That he is holder of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer and the worth of solvency or certificate of owned property issued by Income Tax valuer shall be equivalent to not less than the amount of license fee determined for the grant of license of applied shop in the district. Licensees shall be required to submit the original copy of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer in that district from where it has been issued at the time of grant of license. Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

5. Amendement of rule-12–In the said rules, for existing rule 12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
12-Payment of License fee & Security amount - In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of license fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through e-payment. Security amount shall be deposited through National Saving Certificate/fixed deposit receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment.	12-Payment of License fee & Security amount - In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of license fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through e-payment. Security amount shall be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment.
If he fails to deposit the amount of the license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled and his earnest money and license fee as well as the security amount deposited by him, shall be forfeited in favor of State Government and the said shop shall be resettled forthwith in manner as prescribed by the State Government.	If he fails to deposit the amount of the license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled and his earnest money and license fee as well as the security amount deposited by him, shall be forfeited in favor of State Government and the said shop shall be resettled forthwith in manner as prescribed by the State Government.

6. Amendement of rule-20 –In the said rules, for existing rule 20 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely-

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
20- Interim Settlement of shop-	20- Interim Settlement of shop-
(1) In case a license is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reasons the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily license fee on such rates as notified by the Excise Commissioner with the prior sanction of the Government and proportionate consideration fee (i.e. consideration fee involved in the daily minimum guaranteed quantity) for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount equivalent to 1/6th of the sum of consideration fee and license fee involved in the period of interim settlement.	(1) In case a license is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reasons the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily license fee on such rates as notified by the Excise Commissioner with the prior sanction of the Government and proportionate consideration fee (i.e. consideration fee involved in the daily minimum guaranteed quantity) for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount equivalent to 1/6th of the sum of consideration fee and license fee involved in the period of interim settlement.
Provided that no such settlement of a shop shall be made by the licensing authority for more than two times except with prior approval of the Excise Commissioner.	Provided that the licensing authority shall not make interim settlement of the shop for more than two times without prior intimation to the Excise Commissioner.
(2) In case any license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid-session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.	(2) In case any license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid-session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.

7. Amendement of rule-21–In the said rules, for existing rule 21 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
21- Suspension and cancellation of the license and penalties:-	21- Suspension and cancellation of the license and penalties:-
(1) Licensing authority may suspend or cancel the license:-	(1) Licensing authority may suspend or cancel the license:-
(a) if any intoxicants are found other than bhang in the licensed premise.	(a) if any intoxicants are found other than bhang in the licensed premise.
(b) if the affidavit submitted by the licensee at the time of application is found incorrect and assertions made therein are found to be false.	(b) if the affidavit submitted by the licensee at the time of application is found incorrect and assertions made therein are found to be false.
(c) if it is found that license has been obtained in a false name or the licensee is holding the license on behalf of some other person.	(c) if it is found that license has been obtained in a false name or the licensee is holding the license on behalf of some other person.
(d) If the licensee fails to deposit monthly installment of consideration fee or replenish the deficit in security amount within stipulated period.	(d) If the licensee fails to deposit monthly installment of consideration fee or replenish the deficit in security amount within stipulated period.

Column-I

(*Existing rule*)

(f) If the licensee is convicted of an offence punishable under the Act or of any cognizable and non-bailable offence or any offence punishable under the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any offence punishable under any section of the Indian Penal Code.

(g) If any adulteration in Bhang with other substances are found in licence premises, along with action under other relevant provisions of law.

(2) In case of circumstances stated under sub Rule (1) of this rule, the Licensing Authority shall immediately suspend the license and issue a show cause notice for cancellation of license and forfeiture of security. The licensee shall submit his explanation within seven days of the receipt of notice. There after the licensing authority shall pass suitable orders after giving due opportunity of hearing to the licensee.

(3) In case the license is cancelled the license fee and security amount deposited by him shall stand forfeited in favor of the State Government and the licensee shall not be entitled to claim any compensation or refund. Such licensee may also be blacklisted and debarred from holding any other excise license.

Column-II

(*Rule as hereby substituted*)

(f) If the licensee is convicted of an offence punishable under the Act or of any cognizable and non-bailable offence or any offence punishable under the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any offence punishable under any section of the Indian Penal Code.

(g) If any adulteration in Bhang with other substances are found in licence premises, along with action under other relevant provisions of law.

(2) In case of circumstances stated under sub Rule (1) of this rule, the Licensing Authority shall immediately suspend the license and issue a show cause notice for cancellation of license and forfeiture of security. The licensee shall submit his explanation within seven days of the receipt of notice. There after the licensing authority shall pass suitable orders after giving due opportunity of hearing to the licensee.

(3) In case the license is cancelled the license fee and security amount deposited by him shall stand forfeited in favor of the State Government and the licensee shall not be entitled to claim any compensation or refund. Such licensee may also be blacklisted and debarred from holding any other excise license.

(4) Matter of compoundable breaches pertaining to retail licenses shall be liable to imposition with the following minimum compounding fee -

Sl. no.	Type of violation	For first time (in Rs.)	For second time (in Rs.)	For third time (in Rs.)
1	2	3	4	5
1	Shop found opened before or after the stipulated time.	2,500	3,000	5,000
2	Unauthorized sales man found to be making sale.	5,000	7,000	10,000
3	Stock register not produced when asked for.	10,000	15,000	20,000
4	Stock register found incomplete.	10,000	15,000	20,000

1	2	3	4	5
5	Found having recourse to inducement to the customer with a view to increasing sales such as dancing or gambling.	5,000	7,000	10,000
6	To store duty paid stock in unauthorized premises/ware house.	20,000	25,000	30,000
7	Duty paid stock being found in excess of account.	25,000	30,000	50,000
8	found selling of loose Bhang.	5,000	10,000	15,000
9	found making sale of Bhang during days of prohibition and closure.	30,000	40,000	50,000
10	Any alteration in the premises without permission.	20,000	25,000	30,000
11	Non displaying of essential information according to rule or dis-playing faulty information on the signboard installed outside the premises.	5,000	10,000	20,000
12	On being found no proper arrangement of cleanliness in the shop.	2,000	5,000	10,000
13	Any other irregularity, which is not mentioned under serial-01 to 12.	2,000	5,000	10,000

(P. GURU PRASAD),
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0—6 असाधारण गज़ट—24.4.2020—747 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।